न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद कासगंज।

उपस्थितः—नाहिद सुल्ताना, (I.D. No. UP02046) (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)।

दण्डवाद संख्या—4070/2023

राज्य बनाम जाकिर।

धारा—279, 337, 338 भा0दं0सं0,
थाना—कासगंज,
मु0अ0सं0—477/2021

दिनांकः—13.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त जाकिर पुत्र वाहिद द्वारा मु0अ0सं0—477/2021, अंतर्गत धारा—279, 337, 338 भा0दं0सं0, थाना कासगंज, जनपद कासगंज में स्वेच्छा से उपरोक्त अपराध में संस्वीकृति किया गया। उक्त संस्वीकृति करने पर अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह उक्त संस्वीकृति स्वेच्छा से कर रहा है, तो उसके द्वारा कथन किया गया कि उपरोक्त अपराध कारित करना वह बिना दबाव, अपनी मर्जी से स्वीकार कर रहा है। अतः उपरोक्त मु0अ0सं0—477/2021, अंतर्गत धारा—279, 337, 338 भा0दं0सं0 में की गई उसकी संस्वीकृति तथा संस्वीकृति के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार उपरोक्त अपराध में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाता है।

दिनांकः—13.07.2024

(नाहिद सुल्ताना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज।

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त उपरोक्त का कहना है कि अभियुक्त वर्ष 2023 से उक्त मुकदमें की पैरवी कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे को स्वेच्छा से जुर्माने के आधार पर समाप्त कराना चाहता है। अतः न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अतः उपरोक्त तथ्यों के क्रम में दाण्डिक वाद वर्ष 2023 से लम्बित होने के कारण अभियुक्त को प्रस्तुत दाण्डिक वाद में दोषसिद्ध करना आवश्यक व न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के क्रम में निम्नवत आदेश पारित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मनोज कुमार को आपराधिक वाद संख्या—4070/2023, मुकदमा अपराध संख्या—477/2021, राज्य बनाम जाकिर, धारा—279, 337, 338 भा0दं0सं0, थाना कासगंज, जिला कासगंज के प्रकरण में न्यायालय उठने तक की सजा तथा अपराध अन्तर्गत धारा—279 भा0दं0सं0 हेतु मु0—1000/(एक हजार)—रू0 अर्थदण्ड व अदा न करने की सूरत में 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

इसी प्रकार अपराध अन्तर्गत धारा—337 भा0द0सं0 हेतु मु0—500/— (पांच सौ)—रू0 अर्थदण्ड व अदा न करने की सूरत में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

इसी प्रकार अपराध अन्तर्गत धारा—338 भा0दं0सं0 हेतु मु0—1000/— (एक हजार)—रू0 व अर्थदण्ड अदा न करने की सूरत में 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। इस निर्णय/आदेश की एक प्रति दोषसिद्ध अपराधी को निःशुल्क प्रदान की जाये तथा पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—13.07.2024

(नाहिद सुल्ताना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः—13.07.2024

(नाहिद सुल्ताना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज।

Digitally signed by Nahid Sultana
Date: 2024.07.13 16:40:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court